

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कोषाधिकारी तथा अन्य
समस्त प्रभुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984

विषय—दिनांक 1-3-1985 से राज्य सरकार द्वारा स्वयं संचालित सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना में संशोधन।

महोदय

वित्त बीमा अनुभाग सरकार के अधीन सरकारी सेवकों के लिए दिनांक 1-3-1980 से वित्त विभाग द्वारा सामूहिक बीमा योजना चलायी जा रही है। भारत सरकार ने भी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये दिनांक 1-1-1982 से केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना लागू की है। राज्य सरकार के समूह “ग” व “घ” के कर्मचारियों का इन्ड्योरेन्स कवर भारत सरकार के समूह “ग” व “घ” के कर्मचारियों से अधिक है परन्तु राज्य सरकार के समूह “क” व “ख” के अधिकारियों का इन्ड्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार के समूह “क” व “ख” के अधिकारियों से कम है। प्रदेश के अधिकारी सेवा संघ कुछ समय से यह मांग कर रहे थे कि समूह “क” व “ख” के अधिकारियों का इन्ड्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार की योजना की भाँति केन्द्रीय सरकार के समूह “क” व “ख” के अधिकारियों के कवर के बराबर कर दिया जाय। इस विषय पर सम्पूर्ण विचारोंपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब राज्य सरकार के समूह “ग” व “घ” के कर्मचारियों का इन्ड्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार के समूह “ग” व “घ” के कर्मचारियों से अधिक है तो उस स्थिति में राज्य सरकार के समूह “क” व “ख” के अधिकारियों का इन्ड्योरेन्स कवर केन्द्र सरकार के समूह “क” व “ख” के अधिकारियों के बराबर कर दिया जाना अब अनुचित न होगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि 1 मार्च, 1985 से राज्य सरकार के समूह “क” व “ख” के अधिकारियों के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के अनुरूप ही सामूहिक बीमा योजना संचालित की जाय। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत समूह “क” व “ख” के अधिकारियों का मासिक अभिदान 1 मार्च, 1985 से ₹0 20 से बढ़कर क्रमशः ₹0 80 तथा ₹0 40 प्रतिमाह हो जायेगा। रुपये 80 में से रुपया 55 “बचत निधि” में तथा रुपये 25 “बीमा निधि” में जमा किये जायेंगे। इसी प्रकार रुपये 40 प्रतिमाह के अभिदान में रुपये 27.50 “बचत निधि” में तथा रुपये 12.50 “बीमा निधि” में जमा होंगे। “बचत निधि” में जमा धनराशि पर 11 प्रतिशत की दर से दैमासिक चक्रवृद्धि व्याज दिया जायगा और “बीमा निधि” में जमा धनराशि में उसी दर से व्याज दिया जायगा जिस दर से पोस्ट आफिस द्वारा सेविंग बैंक जिपाइट पर दिया जाता है। शासन द्वारा इन अधिकारियों के अभिदानों पर किसी प्रकार का शासकीय अंशदान दद्य नहीं होगा। सेवारत मृत्यु की स्थिति में समूह “क” के अधिकारियों के लाभार्थियों को रुपये 80 हजार तथा समूह “ख” के लाभार्थियों को रुपये 40 हजार की धनराशि देय होगी, जिसका भुगतान “बीमा निधि” से किया जायेगा। इसके साथ ही मृत अधिकारियों की “बचत निधि” में जमा धनराशि व्याज सहित वापस की जायेगी। सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले अधिकारियों के मामलों में केवल उनको “बचत निधि” में जमा धनराशि व्याज सहित वापस की जायेगी।

2—समूह “क” व “ख” के समस्त अधिकारियों को वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-2105/दस-14/77-नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन भर करके तथा अपने कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराके एक प्रति बीमा निदेशालय को प्रेषित करनी होगी जहां पर उन्हें सुरक्षित रखा जायेगा। साथ ही अधिकारी की सेवा पुस्तिका में नामांकन पत्र की एक प्रति रखकर तदनुसार प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

3—सेवारत मृत्यु हो जाने पर नामांकन न भरने की स्थिति में दावों का भुगतान सक्षम व्यापालय द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही किया जायेगा। सेवारत मृत अधिकारियों के दावों के प्रेषण के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र अवश्य लगा होना चाहिये।

4—चूंकि उक्त संशोधित योजना 1 मार्च, 1985 से लागू की जायेगी अतः इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों की 28-2-1985 तक “बचत निधि” में जो धनराशि जमा रहेगी उस पर वर्तमान दर से 6 प्रतिशत के अनुसार ही वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज मिलता रहेगा और इसकी वापसी शासन के वर्तमान नियमों के अनुसार ही की जायेगी।

5—यदि समूह “ग” का कोई कर्मचारी समूह “ख” तथा समूह “ख” का कोई कर्मचारी समूह “क” में 1 मार्च, 1985 के पश्चात् पदोन्नत होता है तो उस पर पदोन्नत समूह के अभिदान की दर तथा इन्ड्योरेन्स कवर अगली 1 मार्च से लागू होगी और तब तक पदोन्नति के पूर्व की आच्छादित दर व इन्ड्योरेन्स कवर लागू होगी। अधिकारी को नियमित रूप से प्रत्येक माह अभिदान देना होगा और यदि किसी कारणवश अभिदान देने में दैरी हो जाती है तो अभिदान 11 प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से व्याज सहित लिया जायगा। बकाया अभिदान अधिक से अधिक दीन किश्तों में बसूला जा सकता है।

6—उपर्युक्त योजना उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक बोका, भारतीय पुलिस बोका एवं भारतीय बन बोका के उत्तर अधिकारियों पर भी लागू होगी जिन्होंने अखिल भारतीय युप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और प्रदेश सरकार की योजना का विकल्प बनाये रखता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी समूह “क” में आयेंगे। राज्य सरकार के 1 मार्च, 1985 से पूर्व कार्यरत पुलिस विभाग के समूह “ख” के अधिकारियों को छोड़कर शेष समस्त समूह “क” व “ख” के अधिकारियों पर यह योजना लागू होगी। पुलिस विभाग के समूह “ख” के अधिकारियों को वर्तमान में ₹ 40 का प्रतिमाह अभियान लेकर ₹ 40,000 का इन्क्योरेन्स कवर प्राप्त है। अतः 1 मार्च, 1985 के पूर्व कार्यरत पुलिस विभाग के समूह “ख” के अधिकारियों के लिये यह विकल्प होगा कि वह चाहें तो विकल्प देकर 1 मार्च, 1985 से लागू की जाने वाली उपर्युक्त योजना को अपना सकते हैं परन्तु यदि वह इसे अपनाते हैं तो उनका इन्क्योरेन्स कवर जो वर्तमान में ₹ 40,000 है, से घटकर ₹ 40,000 हो जायेगा। इस शासनादेश द्वारा संबंधित योजना को अपनाने वाले पुलिस विभाग के समूह “ख” के अधिकारियों को शासनादेश के साथ संलग्न विकल्प पत्र पर अपना विकल्प देना होगा। संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित अधिकारियों का विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्दर (जारी होने की तिथि को सम्मिलित करते हुए), उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को सीधे प्राप्त हो जाना चाहिये तथा इस विकल्प की एक प्रति पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी भेजी जानी चाहिये। यदि यह विकल्प यत्र निर्धारित अवधि के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होता तो यह समझ लिया जायेगा कि संबंधित अधिकारी ने योजना के वर्तमान स्वरूप को ही अपनाये रखता है।

7—राज्य सरकार के समूह “क” में वह अधिकारीण आयेंगे, जिनके वेतनमानों का अधिकतम प्रथम वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत स्वीकृत वेतनमानों में रुपये 1,200 से अधिक तथा द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत पुनरीक्षित वेतनमानों के रुपये 1,720 से अधिक है। समूह “क” में जाने वाले अधिकारियों को छोड़ कर शेष राज्य सरकार के सभी अधिकारी समूह “ख” में आयेंगे।

8—पुलिस विभाग को छोड़कर शेष विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के दावे संलग्न जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 20 तथा 21 पर रोज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जा येंगे। जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 20 की ट्रस्टी एक प्रति तथा जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 21 की तीन प्रतियों में दावे सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 21 के द्वितीय पृष्ठ के सभी स्तरमें सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे परन्तु इस प्रपत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं कितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अंकित होने चाहिये। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अधिकारियों को छोड़कर शेष विभागों के सेवारत मृत अधिकारियों के दावे जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 22 पर तीन प्रतियों में बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 22 के द्वितीय पृष्ठ के सभी स्तरमें राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे परन्तु इस प्रपत्र पर कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं कितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम व कार्यालय की मोहर अंकित होनी चाहिये।

फुलिस विभाग के सेवानिवृत्त एवं सेवारत मृत अधिकारियों के दावे जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 23 पर तीन प्रतियों में बीमा निदेशालय को पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे। जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या 23 के द्वितीय पृष्ठ के सभी स्तरमें सामूहिक बीमा/निदेशालय द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु इस प्रपत्र पर भी कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं कितरण अधिकारी के हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम तथा कार्यालय की मोहर अंकित होनी चाहिये।

9—यह पुनः स्पष्ट करना है कि इस योजना से आच्छादित अधिकारियों की प्राप्तियों को लेखा शीर्षक—

“811—बीमा तथा वेशन निधियां—

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना—

(क) बीमा निधि—

(I) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि।

(II) पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि।

(ख) बचत निधि—

(I) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि।

(II) पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि।

के प्राप्ति पक्ष में जेमा किया जायेगा। इस योजना के लागू होने के कलस्करूप केंद्रीय युप बीमा योजना के सदस्यों तथा राज्य सरकार के समूह “क” के अधिकारियों का अभियान अब समान रूप से ₹ 800 हो गया है। अतः इस बात की समझाना बहु गंभीर है कि केंद्रीय युप बीमा योजना से आच्छादित अधिकारियों तथा राज्य सरकार की उपर्युक्त योजना से आच्छादित अधिकारियों की कटौतियों गलत लेखा शीर्षक में वर्णीकृत हो जायें। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी केंद्रीय युप बीमा योजना के सदस्य हैं या यविधि में होये उनकी कटौतियां लेखा शीर्षक “858—उच्चत लेखा—अखिल भारतीय सेवा अधिकारी युप बीमा योजना अभियान” के अन्तर्गत जमा की जायेगी। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कटौतियों का गलत वर्णन करण न हो।

10—इस शासनादेश के अधिकारियों और प्राविधिकों की सीमा तक राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में निर्णय समस्त शासनादेशों के प्राविधिक और आदेश अतिक्रमित माने जायेंगे।

11—यह भी अनुरोध है कि इन आदेशों को अपने अधीनस्थ सर्व संबंधित को अवगत कराएं।

संग्रहक—उपरोक्तानुसार

(जी 0 आई 0 एस 0 फार्म संख्या—

20, 21, 22, 23 तथा विकल्प
पत्र का प्रारूप)

भवदीय,

जी 0 पी 0 सिंह,
वित्त सचिव

पत्र-संख्या-बीमा-2627 (1)/दस-87/83, तदैदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1—सचिवालय के समस्त अधिकारी।
- 2—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
- 3—श्रीराज्यपाल का सचिवालय।
- 4—कन्ट्रोलर आफ इन्स्पोरिंस, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) बीमा प्रभाग, निवाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
- 5—भारत सरकार के गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली, को 50 अस्तिरक्त प्रतियों सहित।
- 6—भारत के नियंत्रक महालेला परीक्षक, नई दिल्ली।
- 7—भारत के महालेला नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यवस्थापन) लोक नायक भवन (8 बांद्रा), नई दिल्ली।
- 8—महालेला कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 9—नियंत्रक, कोषनार एवं लेला, उत्तर प्रदेश, 10वीं मंजिल, जवाहर भवन, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि वह अपने स्तर से शासनादेश के अचूक अनुपालन हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित करने का कार्य करें।
- 10—नियंत्रक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा नियंत्रण अधिकारी, रायल होटल, बिल्डिंग, लखनऊ।
- 11—पुलिस महानियंत्रक, उत्तर प्रदेश मध्यालय, इलाहाबाद, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी पुलिस विभाग के समूह 'ब' के अधिकारियों के विकल्प नियोजित अवधि के अन्दर राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा नियंत्रण अधिकारी समिति के अन्दर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
- 12—गोपन अनुभाग-1 को उनके प्रशासनीय पत्र-संख्या-4/2/23/84-सी० एक्स० (1), दिनांक 21-8-84 के संदर्भ में।

आज्ञा से;
ज्ञ० बी० सिंह,
संयुक्त नियंत्रक।

(केरल शासनादेश रंडणा-त्रीमि-2627/दस्त-87-83, दिनांक, 29-10-84 से आवृक्षादित अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

जी० आई० एस० फार्म संख्या 20

(केवल अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

महोदय,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये बचतमय सामूहिक योजना के अन्तर्गत प्रपत्ता दावा निःन प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूँ—

- 1—(अ) अधिकारी का नाम
(ब) पिता का नाम
- 2—पद तथा वेतनमान
- 3—नियुक्ति का स्थान व पता
- 4—जन्म तिथि
- 5—(क) सेवा में नियुक्ति का दिनांक
(ख) योजना में प्रवेश का दिनांक
- (ग) ₹० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि
- (घ) ₹० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि
- (च) ₹० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि
- (छ) ₹० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि
- 6—निर्गमन का कारण
सेवा निवृत्त/त्याग-पत्र/सेवा समाप्ति
- 7—सेवा के निर्गमन का दिनांक
- 8—लाभग्राही का (अ) नाम
(ब) पता
(स) सम्बन्ध

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण ज्ञानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंकन

(रूपया

दिनांक

स्थान

गवाह

20 पैसे का रसीदी टिकट

हस्ताक्षर

अधिकारी/लाभग्राही के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण मेरी पूर्ण ज्ञानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान

पता

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर—

हस्ताक्षरकर्ता का नाम—

हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम—

कार्यालय की मोहर—

(केवल शासनादेश संख्या बीमा-2627/दस-87/83, दिनांक 29-10-84 के मार्गदर्शित अधिकारियों के दावों के प्रवेश हेतु)
जी ० आई० सी० फार्म संख्या-21

(प्रथम पृष्ठ)

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों के लिये उचत जय सामूहिक बीमा योजना

यह प्रपत्र तीन प्रतियों में सभी स्तम्भों को कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भर कर सामूहिक बीमा निवेशालय को प्रेषित करना है।

1—अधिकारी का नाम

2—पदनाम तथा वेतनमान

3—पता

4—निवुक्ति के स्थान का पता

5—जन्म-तिथि सेवा अधिकारियों के अन्तरार

6—सेवा में प्रवेश करने की तिथि

7—योजना में प्रवेश करने की तिथि:

8—अभिदान देने की अवधि:]

(क) रु 10 प्रतिमाह की दर से

से तक

(ख) रु 20 प्रतिमाह की दर से

से तक

(ग) रु 40 प्रतिमाह की दर से

से तक

(घ) रु 80 प्रतिमाह की दर से

से तक

9—योजना से निकलने की तिथि

10—योजना से निकलने का कारण

11—लाभग्राही का नाम

पता

सम्बन्ध

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के भुगतान आवाह करते हैं। उक्त लाभग्राही/लाभग्राहियों के नाम दावे का चेक दिया जावे। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उक्त दावे का प्रथम तथा भुगतान इसके पहले कभी प्रेषित नहीं किया गया।

स्थान—

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर—

दिनांक—

हस्ताक्षरकर्ता का नाम—

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम—

कार्यालय की मोहू—

क्रम १ तारीख १ अक्टूबर २०२१ (द्वितीय पृष्ठ)

स्तम्भ बीमा निवेशालय द्वारा भरे जावे

(द्वितीय पृष्ठ)

क्रम-	लाभार्थी का नाम	माह और वर्ष	अभियान की वर्चन संख्या	वर्चन निविड़ में जमा	वर्चन निविड़ में जमा	गोगे	टिप्पणी
संख्या		प्रबोश का	निकालने का	बनराशि	बनराशि में	बनराशि सहित	बनराशि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

हम एवं द्वारा शासन से ५०
प्रौद्योगिकी (वचत) योजना के अनुबन्ध दिनांक
अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

(इपमा) की बनराशि जो बीमा बनराशि
के प्रत्यागंत देम हुई, पूर्ण संतोष सहित दातों के उच्च दिक्षण,

कावलियालय,
आनंदगढ़ बनराशि बनराशि के हस्ताक्षर सथा
बोहर।

(प्रथम पृष्ठ)

(यह ग्रन्थ तीन प्रतिबों में सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित करता है)

(केवल भूत अधिकारियों के दावों के प्रेषण इत्तु)

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
उ० प्र० लखनऊ।

जहोदब,

मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत भूत अधिकारी का दावा निम्न प्रकार प्रस्तुत करता हूँ:—

१—(अ) अधिकारी का नाम

(ब) पिता/पति का नाम

२—मृत्यु के समय:—

(अ) पद

(ब) बेतनमान

(स) विभाग तथा विभागाध्यक्ष

३—जन्म तिथि

४—(क) सेवा में नियुक्ति का दिनांक

(ख) योजना में प्रवेश का दिनांक

(ग) ₹ ० १० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

(घ) ₹ ० २० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

(च) ₹ ० ४० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

(छ) ₹ ० ८० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

से	तक

५—मृत्यु रीति

६—मृत्यु का कारण

७—मृत्यु की स्थिति में लाभग्रही

(अ) नाम

(ब) पता

(स) मृतक से संबंध

१—मैं एतद्वाक्या पृष्ठि करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही है और शासन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के मुग्यतान का आग्रह करता हूँ।

२—मैं यह भी पृष्ठि करता हूँ कि ऊपर अंकित मृत अधिकारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की ऊपर अंकित तिथि का मिलान प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र, नमांकन/उत्तराधिकारी की प्रमाणित प्रतिलिपियां दावे के साथ संलग्न हैं।

३—उक्त दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है। इससे पूर्व दावा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

४—मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि मुग्यतान प्राप्त होने पर लाभग्रही से रसीदी स्टैम्प लगी मुग्यतान की बनराशि की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लूँगा और इसकी सूचना सामूहिक बीमा निदेशालय को रसीद प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित कर दूँगा।

कार्यालयाध्यक्ष।

दिनांक

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

*गवाह के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम

गवाह का नाम

कार्यालय की मोहर

गवाह का पद नाम

* (गवाह के स्थान पर कार्यालय के उस अधिकारी के हस्ताक्षर करायें जाये जिसने इस फार्म को भरा हो)

पी. ओर्डर ० एड० फार्म संख्या—२२

स्टेम बीमा निदेशालय द्वारा जरे जावे

(द्वितीय पृष्ठ)

जनिकारी का नाम	माह और वर्ष	अभिदान की संख्या	वीआर चनराशि	बचत निवि में	योग	टिप्पणी
प्रवेश का	निकालने का				जमा चनराशि ब्याज सहित	
1	2	3	4	5	6	7
						8

हम इतद्वारा शासन से हॉ

(८०)

) की अनराशि, जो बोमा अनराशि

और डिपार्टमेंट (बचत) योजना के अन्तर्गत देव व मांग हुई पूर्ण संतोष सहित दावों के उक्त बिवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हुए।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी के

हस्ताक्षर—

‘हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम—

कार्यालय की मोहर

(केवल जास्तनादेश संख्या-दीमा-२६२७/दस-८७-८३, दिनांक २९-१०-८४ से आच्छादित अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

जी० आई० एस०—कार्य संख्या—२३

(प्रथम पृष्ठ)

(केवल पुलिस विभाग के अधिकारियों के दावों के प्रेषण हेतु)

सेवा में,

महोपयः

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिये उच्चतमय समूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार प्रस्तुत करता/करती हूँ:—

१—(अ) अधिकारी का वार्ष

(ब) पिता का नाम

२—पद तथा वेतनप्राप्ति

३—नियुक्ति का स्थान व पता

४—(क) सेवा में नियुक्ति का दिनांक

(ख) योजना में प्रवेश का दिनांक

(ग) ₹० ५ प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

से तक

(घ) ₹० १० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

से तक

(च) ₹० १५ प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

से तक

(छ) ₹० ४० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

से तक

(ज) ₹० ८० प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि

से तक

५—जन्म तिथि

६—क्या अधिकारी दिनांक १-३-८५ के पूर्व समूह “ख” का अधिकारी था

हा/नहीं

७—यदि हाँ, तो क्या उसने दिनांक १-३-८५ से संशोधित केन्द्रीय सरकार की योजना की भाँति संचालित राज्य सरकार की योजना की सदस्यता प्राप्त करने के लिये विकल्प दिया है।

हा/नहीं

८—क्या अधिकारी निर्गमन के समय सेवा में था

हा/नहीं

९—निर्गमन का कारण मृत्यु/सेवा निवृत्ति/त्याग पत्र/सेवा समाप्ति

१०—मृत्यु का कारण

११—सेवा से निर्गमन का दिनांक

१२—मृत्यु की तिथि

१३—मृत्यु की स्थिति में लाभदाही का—

(अ) नाम

(ब) पता]

(स) सम्बन्ध

१—मैं एतद्वारा पुष्ट करता हूँ कि ऊपर अंकित विवरण सही है और जास्तन से उक्त विवरण के आधार पर दावे के भुगतान का आग्रह करता हूँ।

२—मैं यह भी पुष्ट करता हूँ कि ऊपर अंकित मृत अधिकारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा मृत्यु की ऊपर अंकित तिथि का मिलान मृत्यु प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है। मृत्यु प्रमाण-पत्र इवं नामांकन/उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की प्राप्तिलिपियाँ दावे के साथ प्रेषित हैं।

३—उक्त दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है। इससे पूर्व मृदृक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा समूहिक बीमा निवेशालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

४—मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि भुगतान प्राप्त होने पर लाभदाही से रक्षीय स्ट्रंगप्स भुगतान की घनराशि की प्राप्ति रक्षीद प्राप्ति कर लूँगा और इसकी समूहिक बीमा निवेशालय को रक्षीद प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर प्रेषित कर देंगा।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राइसम एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम

कार्यालय की मोहर

दिनांक

स्वाम

**गवाह के हस्ताक्षर

गवाह का नाम

गवाह का पद नाम

(**गवाह के स्वाम पर कार्यालय के उस अधिकारी के हस्ताक्षर कराये जायें जिसने इस कार्य को भरा हो)

(*जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

संख्या

दिनांक

संयुक्तपुनिदेशक, उ०प० राज्य कमंचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को लेखिये हुए मैं पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के साथ प्रभागित करता हूँ कि उल्लिखित कथन पूर्ण रूपेण सही है।

४०

बीमा बन व भवित्व लाभ के रूप में रु०

का दावा

चाल्य है।

पुलिस महानिरीक्षक;
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद;
कार्यालय मोहर।

जी० बाई० एवं० चार्टे लेखन-२३

स्त्रीय वीमा निदेशालय द्वारा यह चार्ट

(द्वितीय पृष्ठ)

विकारी का नाम	माह और वर्ष	जन्मदान की संख्या	वीमा बनराजि	बचत निधि में जमा बनराजि	बीमा बहित्र	टिप्पणी
प्रबन्ध का निकालने का						
1	2	3	4	5	6	7
						8

हम एत द्वारा शासन से ३० (रु०) की बनराजि जो बीमा बनराजि और डिप्रिट (बचत) योग्याके अन्तर्गत देय मात्र हुई, पूर्ण संतोष सहित दर्शकों के उक्त विवरण अनुसार प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/भारण एवं वितरण अधिकारी के
हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

हस्ताक्षरकर्ता का पद नाम

कार्यालय की मोहर

होगी
प्रत्येक माह
चन्द्रघुदि की दर से

शासनादेश संख्या बीमा-2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-84 से आच्छादित पुलिस विभाग के समूह "ख" के अधिकारियों द्वारा दिये गये विकल्प प्रपत्र का प्रारूप

विकल्प पत्र का प्रारूप

(समूह "ख" के उन अधिकारियों के लिये जो 1-3-1985 से सामूहिक बीमा योजना अपनाना चाहते हैं।)

मैं _____ वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश संख्या 2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-1984 द्वारा पुलिस विभाग के समूह "ख" के अधिकारियों के लिये 1-3-1985 से संशोधित सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना को अपनाना चाहता हूँ।

मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिवर्तनीय है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

अधिकारी का पद नाम

मोहर

शासनादेश संख्या बीमा-2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-1984 से आच्छादित पुलिस विभाग के समूह "ख" के अधिकारियों द्वारा दिये गये विकल्प प्रपत्र का प्रारूप।

विकल्प पत्र का प्रारूप

(पुलिस विभाग के समूह "ख" के उन अधिकारियों के लिये जिन्होंने दिनांक 1-3-1985 से लागू की जाने वाली सामूहिक बीमा एवं बचत योजना नहीं अपनाया है।)

मैं _____ वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश संख्या 2627/दस-87-83, दिनांक 29-10-1984 द्वारा पुलिस राजपत्रित अधिकारी के लिये लागू बत्तमान सामूहिक बीमा योजना में बना रहना चाहता हूँ, जिसके अनुसार सेडारत मृत्यु की स्थिति में ₹ 50,000 का ही इश्योरेंस कवर बना रहेगा।

मैं यह स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिवर्तनीय है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

अधिकारी का पद नाम

मोहर

पी० एस० रू० पी०—ए० पी० ७९ सा० वित्त—29-7-86 (1073)—1986—5,000 (हि०)।

